

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

132
112

क्रमांक / बैठक / 10 / 432 - 554

दिनांक 13 अप्रैल, 2010

कार्यकारी समिति की 7वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 09.04.2010 का प्रातः 11.00 बजे श्री गौरव महोदय आई.ए.एन. आबुल्ला जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सदस्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए एजेण्डा आईटम प्रस्तुतकरण किया।

एजेण्डा आईटम : बैठक निर्णय का अनुमोदन।
संख्या 1

सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की छठी बैठक दिनांक 10.02.2010 में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम : प्रस्तावित प्राधिकरण बैठक दिनांक 13.4.2010 से एजेण्डा पर विचार विमर्श।
संख्या 2

माननीय अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि दिनांक 13.4.2010 को प्रस्तावित प्राधिकरण की बैठक आयोजित किये जाने से पूर्व प्राधिकरण बैठक एजेण्डा पर कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जाकर विचार विमर्श किया जावे।

सचिव प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की प्रस्तावित बैठक के प्रस्तुत एजेण्डा पर निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया :-

एजेण्डा आईटम : पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटियों की विभिन्न समस्याओं एवं अतिक्रमण हटाये जाने पर चर्चा।
संख्या 2 (1)

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण में प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाये :-

- अ. जो जोड़ नगरपालिका में विद्यमान हैं उनकी माकूल पैरवी की व्यवस्था की जावे।
- ब. जिन प्रकरणों में योजना बनाने के पश्चात् विभिन्न न्यायालयों द्वारा खातेदारी अधिकार प्रयत्न कर दिये गये हैं, योजना के मूल स्वरूप को यथावत् रखने के लिए ऐसी भूमियाँ को अवाप्ति प्रस्तावित की जावे।
- स. योजना में सड़क बिजली व पानी आदि विकास कार्य शीघ्र प्राप्त किये जावे एवं विकास एजेण्डा पर मूलांक लगाये।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण में प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार विकल्प प्रस्तावित किये जावें :-

विकल्प (1) :-

आय वर्ग तथा आवंटन भू खण्ड के क्षेत्रफल की श्रेणियाँ में भिन्नता होने पर ऐसे समस्त प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जावे तथा आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने / तथ्य छुपाने की पुष्टि होने के पश्चात् पूर्व में किए गए नियमित आवंटन निरस्त किये जायें ।

विकल्प (2) :-

आय वर्ग तथा आवंटन भू खण्ड के क्षेत्रफल की श्रेणियाँ में भिन्नता होने के कारण प्रकरण प्रकरण का परीक्षण किया जावे तथा पूर्व में नगर सुधार न्याय के समय हुई त्रुटि तथा अनियमितता को अपवाद स्वरूप शास्ति आरोपित करते हुए नियमित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे । राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व ऐसे प्रकरण जिनमें प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हों अथवा सही तथ्य छुपाये गये हों, का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे । साथ ही त्रुटिपूर्ण / अनियमित आवंटन करने हेतु दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जावे । शेष प्रकरण जिनमें अन्तहीन भास के स्तर पर त्रुटियाँ रही एवं अनियमित आवंटन कर दिये गये, को अपवाद स्वरूप अनियमित किये जाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष निम्न कार्यवाही प्रस्तावित की जावे :-

- अ. आय वर्ग अधिक होने एवं आवंटित भूखण्ड छोटा होने की स्थिति में वास्तविक आय वर्ग के लिए लागू दर के अनुसार राशि वसूल की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे ;
- ब. आय वर्ग कम होने तथा आवंटित भूखण्ड बड़ा होने की स्थिति में आवंटित भूखण्ड की श्रेणी में लागू दर से राशि वसूल की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे ।
- स. ऐसे आवेदक जिनके आय वर्ग के अनुसार वे योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं थे, के आवेदन-पत्र निरस्त किये जाकर अमानत राशि लौटा दी जावे ।

एजेण्डा आईटम
संख्या 2 (3)

दन्तोपथ ठेंगडी एवं रामराज नगर के आवंटित भूखण्डों पर अतिक्रमण होने से आवंटियों को अन्य वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने पर विचार विमर्श ।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जा जावे :-

1. अतिक्रमणित भूखण्डों की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर निर्णय हेतु आगामी बैठक में रखी जावे ।

2. विकल्प :-

यदि भूखण्डों की समुचित दूर करने के लिए कड़ा गोलमाथा से समस्त भूखण्डों को मूखण्ड विधायक प्राधिकरण द्वारा निर्णय कर दिया जावे, भूखण्ड निर्णय करने के निर्णय हेतु राज्य सरकार योजना हेतु आवेदन लौटाने समिति को प्राधिकरण किया जावे ।

ब. विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमिता भू खण्डों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए योजना भूमि को रिक्त करवाकर मूल आवंटियों को कब्जा सुपुर्द किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (4) : कीर्तिनगर योजना में आवंटियों को कब्जा दिये जाने एवं पूर्व न्यास बैठकों में लिये गये निर्णयों पर चर्चा

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावे -

उपायुक्त (उत्तर) समस्त अतिक्रमियों एवं आवंटियों को नोटिस जारी कर सुनकर विस्तृत रिपोर्ट निणयार्थ आगामी बैठक में पेश करे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (5) : नामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सागरिया में अतिक्रमण हटाने जाने एवं आवंटित भूखण्डधारियों को वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने बाबत/नवीन प्लान बनाये जाने पर चर्चा

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावे -

1. अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।
2. योजना में विकास कार्य यथा सड़क आदि करवाये जावे व मुहाने कराये जावे।
3. रिक्त भूमि पर रहवासीय भूखण्डों की योजना बनाई जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (6) : भू-पट्टी आवंटन समिति के गठन के निर्णय का अनुमोदन

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यक्ष प्राधिकरण की आज्ञा से लिए गए निर्णय को अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (7) : नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 17 (6) के तहत निर्धारित प्रकिया का अनुमोदन

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यक्ष प्राधिकरण की आज्ञा से लिए गए निर्णय को अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (8) : जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को भूमि आवंटन निर्णय का अनुमोदन।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यक्ष प्राधिकरण की आज्ञा से लिए गए निर्णय को अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जावे।

एजेण्डा आईटम
संख्या 2 (14)

कायलाना क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने बाबत वन विभाग के पत्र पर विचार-विमर्श तथा निर्णय

समिति के समक्ष वन विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें माचिया सफारी पार्क पर वन विभाग की भूमि का अंकन किया हुआ है। वन भूमि के सहारे-सहारे कई क्षेत्र में आवासीय बस्तियाँ बस/विकसित हो गई हैं। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंधित क्षेत्र के चारों ओर का सर्वेक्षण करा जाकर प्रस्ताव तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव तैयार होने के पश्चात् विभाग हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखे जावे।

एजेण्डा आईटम
संख्या 2 (15)

विभिन्न राजकीय विभागों को भूमि आवंटन का अनुमोदन

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यक्ष प्राधिकरण की आज्ञा से लिए गए राजकीय विभागों / उपकरों को आवंटन के निर्णय का अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जावे।

एजेण्डा आईटम
संख्या 2 (16)

विभिन्न समाजों/संस्थाओं को सामुदायिक कार्यों हेतु भूमि आवंटन के प्राधान-पत्रों को अग्रोषित करने पर चर्चा

विभिन्न सामाजिक एवं चरीटेबल संस्थानों को भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार ने एक क्रमांक पं.3(615)नविाये/3/09 जयपुर दिनांक 04.01.2010 के द्वारा निर्देशित किया है कि राज्य सरकार आवंटन पत्र नवीन नीति का निष्कारण कर रही है। अतः आगामी आदेश तक निकाय स्तर पर आवंटन करने पर रोक लगायी है। प्रकरण अतिआवश्यक होने पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति होने से आवंटन किया जा सकता है। अतः आवेदित प्रकरणों की सूची प्राधिकरण की बैठक में रखी जावे। प्राधिकरण की बैठक में विचार-विमर्श कर यह निर्णय किया जा सकता है कि कौन से प्रकरण अतिआवश्यक है।

6- जटिया बस्ती भदवासिया याई संख्या 55 में चमडे का धधा करने वालों को शहर के बाहर भूमि आवंटन :-

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है। अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा आईटम
संख्या 2 (17)

राजस्थान आवासन मण्डल को राष्ट्रीय गांधी नगर योजना में कमजोर आय वर्ग हेतु मुखण्ड आवंटन का अनुमोदन

निर्णय हेतु निम्न विकल्प प्रस्तावित किए जावे :-

राजस्थान आवासन मण्डल को भी प्राधिकरण की योजना क्षेत्र में आवंटित दर की प्रतिशत दर पर आवंटन इस शर्त पर की जावे कि वे योजना में मकानों का निर्माण करवाए। बाह में प्रारंभ करने दिनांक तथा शीघ्र आवासन करने पर प्राधिकरण की योजना क्षेत्र विकसित हो सके।

यह निर्णय आगामी प्राधिकरण की बैठक में आवंटन किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (18)

जोधपुर विकास प्राधिकरण के संशोधित अनुमानों के निर्धारण की पुष्टि एवं वर्ष 2010-2011 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है। अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (19)

दैनिक नवज्योति / चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था को भूमि आवंटन एवं ले-आउट प्लान खसरा संख्या 91 ग्राम चौपासनी जानीर के संशोधन पर चर्चा

प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न विकल्प प्रस्तावित किये जावे :-

राजस्थान आवासन बण्डल से मूल योजना अनुसूच अतिरिक्त भूमि क़ाय की जावे।

2. संशोधित योजना का अनुमोदन किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (20)

जोधपुर विकास प्राधिकरण में चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति के बिन्दु पर चर्चा

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है। अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (21)

जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय बरकतुल्लाह खां स्टेडियम एवं अन्य स्थानों पर पड़े नकारा सामान / वाहनों के संबंध में चर्चा

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावे :-

1. प्राधिकरण कार्यालय एवं बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में बड़ी मात्रा में पड़े नकारा सामान के निस्तारण हेतु सचिव निदेशक वित्त एवं निदेशक अभियांत्रिकी की समिति का गठन किया जावे।
2. नकारा सामान क्या क्या है तथा इनकी अनुमानित वल्यू का लिस्ट बनाई जाकर तत्पश्चात् गारदर्शी प्रक्रिया से नीलामी की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 2 (22)

नागरिक सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु मौजूदा संरचना को ध्वस्त करने के बिन्दु पर चर्चा

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है। अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा आईटम : अफाडेबल हाऊसिंग स्कीम पर चर्चा
संख्या 2 (23)

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है । अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे ।

एजेण्डा आईटम : मिल्कमन कॉलोनी पुल रोड के विभिन्न मकानों के संख्या में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा
संख्या 2 (24)

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है । अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे ।

एजेण्डा आईटम : प्राधिकरण में पदस्थापित तहसीलदारों का शक्तियां प्रत्यायोजन आदेश का अनुमोदन ।
संख्या 2 (25)

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है । अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे ।

एजेण्डा आईटम : ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 8 के बकाया पट्टा जारी करने के संबंध में चर्चा
संख्या 2 (26)

प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न कार्यवाही प्रस्तावित किया जावे :-

1. 60/40 के अनुपात में योजना बनाई जाकर संशोधन किये जावे ।
2. पूर्व में जारी अनियमित पट्टों का संशोधन कर आन्तरिक विकास शुल्क की राशि वसूल की जावे ।
3. दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे ।

एजेण्डा आईटम : महाराणा प्रताप कॉलोनी सुरसागर बाईपास जोधापुर में श्री रामण्डाराम को वैकल्पिक मूखण्ड आवंटन पर चर्चा
संख्या 2 (27)

प्रकरण के पूर्ण तथ्य एकत्रित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ संबंधित तथ्यों का नेयमानुसार निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखें ।

एजेण्डा आईटम : विभिन्न योजनाओं में एक वर्ष से अधिक की समयबाधियों में आवंटियों द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने के विन्द पर चर्चा
संख्या 2 (28)

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नीतिगत विषय से संबंधित है । अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे ।

एजेण्डा आईटम : श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथ को मुखण्ड नरखा पी-456 सरस्वती नगर योजना के संबंध में चर्चा।

प्रकरण के पूर्ण तथ्य एकत्रित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ संबंधित सहायक नियमानुसार निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखें।

एजेण्डा आईटम : श्री पाल रोड योजना में अतिरिक्त मुख्य वन क्षेत्र व लीज जारी करने के विन्दु पर चर्चा।

बाद विस्तृत विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण नैतिगत विषय से संबंधित है। अतः यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति में विचार-विमर्श नहीं करके प्राधिकरण की बैठक में ही विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा आईटम : मुखण्डों का नीलामी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का आरक्षण रखने के संबंध में।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावे :-

राजस्थान आवासन मण्डल व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नीलामी में आई भूवसायिक मुखण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण किया जाता है इसी अनुरूप जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा भी मुखण्डों का आरक्षण किया जावे।

एजेण्डा आईटम : कूडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड से पाली रोड से सम्पर्क सड़क हेतु रक्षित वन क्षेत्र व्यास बावडी के 0.2148 हे. वन भूमि के ड्राईवर्जन प्रस्ताव बाबत

गत कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में जन-हित में सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से कूडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड से पाली रोड सम्पर्क सड़क रक्षित वन क्षेत्र व्यास बावडी खसरा नम्बर 685 की 0.2148 हेक्टर वन भूमि के प्रस्ताव अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को भिजवाये गये हैं। व्यापक जनहित के इस कार्य के तहत प्रस्ताव भिजवाने के निर्णय की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा आईटम : श्रीमती मजू शर्मा पाले श्री राजेन्द्र शर्मा को डुप्लीकेट पत्रावली बाबत

प्रकरण में प्रार्थीया की डुप्लीकेट पत्रावली बनाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की प्रकिया करने के निर्णय की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा आईटम : भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों सच।

विश्रा. स्थान व उपचार संरचना जो भी स्तर के मुखण्डों को रक्षित प्रस्ताव के तहत विचार विचार

प्राथमिकरण का मासिक न जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति स्तर के तहत प्रकरण विचाराधीन है। सचिव, प्राथमिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि अनेक विचारणीय प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण ऐसे हैं जिसमें नियमानुसार आवेदक द्वारा सजरदारी/आपत्ति की विज्ञापित जारी नहीं कराई गयी है। कुछ प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज भी सलग्न नहीं किये गये हैं, जिससे प्रकरण लम्बित है। जिन प्रकरणों में कार्यवाही लगभग पूर्ण हो गयी है, उनको एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है, जो निम्नानुसार है। समिति द्वारा विस्तृत रूप में विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि -

1. जिन प्रकरणों में नियमानुसार आपत्ति हेतु विज्ञापित जारी नहीं की गई है/आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उनको विज्ञापित जारी कराने/दस्तावेज प्रस्तुत करवाने हेतु पुनः स्मरण पत्र दिया जावे। यदि आवेदक द्वारा 30 दिवस में विज्ञापित जारी करवा दी जाती है/आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो उन प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जावे अन्यथा ऐसे प्रकरणों को सचिव स्तर पर दफतर दाखिल किये जाने का निर्णय लिया जावे। इनमें से यदि आवेदक पुनः आवेदन करता है, तो नए रूप में प्रकरण में आवेदित किया जाना होगा।
2. एजेण्डा में सम्मिलित प्रकरणों की सूची में क्रम संख्या 1 पर अंकित प्रकरण में आवेदक श्री गोविन्दसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह ने चौपासनी के खसरा न. 50 की भूमि में से 1500 वर्गगज का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है तथा नीचे पर भूमि स्थित है। भूमि पर गहुँच हेतु 90' चौड़ी सड़क लगातक होती है। आवेदित भूमि जोधापुर-जैसलमेर हाइ पास सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2007 को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। क्षेत्र में कई होटल्स एवं रिसोर्ट विकसित हो रहे हैं। तकनीकी मानदण्ड पूर्ण होने एवं क्षेत्र की आवश्यकता के मद्देनजर आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में अंकित आवासीय भू-उपयोग वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के निर्देशों एवं वरिष्ठ नगर नियोजक की तकनीकी राय अनुसार शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

3. एजेण्डा में सम्मिलित प्रकरणों की सूची में क्रम संख्या 2 से 8 पर अंकित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	आवेदक का नाम	आवेदित भूमि का विवरण	बांदा गाँव भू-उपयोग
1	18/2010	श्री अशोक चन्द्रका पुत्र श्री देवीलाल मलवीय	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक टी क्षेत्रफल 1311 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय
3	19/2010	श्री कनक विष्णोनीका पुत्र श्री मदनमोहन	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक टी क्षेत्रफल 1311 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय
4	20/2010	श्री चन्द्रविजय बरका पुत्र श्री शिवप्रकाश बरका	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक ए क्षेत्रफल 1311 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय
5	21/2010	श्री अमल न. मदी पुत्र श्री अमृतलाल मदी	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक टी क्षेत्रफल 843.21 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय
6	22/2010	श्री राजेश मालवी पुत्र श्री रामलाल मालवी	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक टी क्षेत्रफल 1311 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय
7	23/2010	श्री मणिराम बरका पुत्र श्री चन्द्रका बरका	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक टी क्षेत्रफल 1311 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय
8	24/2010	श्री विजय चन्द्रका पुत्र श्री चन्द्रका	ख. नं. 426 ग्राम जोधापुर ब्लॉक टी क्षेत्रफल 1311 वर्ग मीटर	राजकीय अरक्षित भूमि से आवासीय

प्रत्येक प्रकरण में आवेदक भिन्न है परन्तु आवेदित खसरा संख्या एक ही है । प्रत्येक आवेदन 1500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के कारण जिला-स्तरीय समिति को क्षेत्राधिकार का है परन्तु यदि समस्त आवेदनों को सम्मिलित कर दिया जावे तो प्रकरण राज्य सरकार स्तर के क्षेत्राधिकार का बनता है । आवेदकों ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रकरण में राजकीय आरक्षित भूमि से आवासीय भू उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया है । वर्तमान में आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है । जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित भूमि राजकीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में आंकित है । आवेदित भूमि मौके पर सेना क्षेत्र एवं जेम्स पार्क परिसर तथा पहाड़ी के मध्य पट्टी के रूप में स्थित है । उक्त क्षेत्र में पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा वर्ष 2003 में आवासीय प्रयोजनार्थ उप विभाजन प्लान स्वीकृत किया गया है तथा मौके पर उक्त क्षेत्र में नगर निगम द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति भी जारी की गई है । अब उक्त क्षेत्र में शेष भूमि पट्टी के रूप में उपलब्ध होती है जिसमें आवेदकों द्वारा मास्टर प्लान में राजकीय आरक्षित से आवासीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है । आवेदित भूमि पर 50 फुट चौड़ी सड़क उपलब्ध होती है तथा वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पूर्व में स्वीकृत उप विभाजन प्लान की निरंतरता में ही है । आवेदित भूमि पर डिफेन्स लेब सड़क से भी एप्रोच उपलब्ध होती है । आवेदित भूमि का प्रकरण जटिल होने के कारण प्रकरण के विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के मध्य निर्णय क्षेत्राधिकार के अनुसार आवेदित भूमि नगर निगम क्षेत्र में स्थित है । प्रार्थी ने सर्व प्रथम नगर निगम कार्यालय में भू उपयोग परिवर्तन हेतु सम्पर्क किया था । नगर निगम आयुक्त ने अवगत कराया कि आवेदक ने मास्टर प्लान पर भू उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया है । आवेदक स्वामित्व के दस्तावजों के आधार पर स्थापित भू उपयोग में परिवर्तन नहीं चाहता है । आवेदक ने मात्र मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है । चूंकि मास्टर प्लान तत्कालीन नगर सुधार न्यास एवं वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है एवं मास्टर प्लान में संशोधन का अधिकार भी जोधपुर विकास प्राधिकरण को है, अतः प्रार्थी को प्रकरण में भू उपयोग परिवर्तन करवाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया ।

बैठक में उपस्थित सदस्य आयुक्त नगर निगम द्वारा उक्त प्रकरणों में भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए अवगत करवाया कि उक्त प्रकरणों में मात्र मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है तथा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले भू उपयोग परिवर्तन प्रकरणों को राज-पत्र में भी प्रकाशित किया जाता है । क्षेत्राधिकार के संबंध में उपरोक्तानुसार विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के विशेष प्रकरण में प्रथम दृष्टया जोधपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार होना प्रतीत होता है तथा इस बाबत आयुक्त नगर निगम द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है । फिर भी यह उचित होगा कि कार्यकारी समिति द्वारा भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय की इस संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे ।

2. प्रकरण संख्या 2 से 8 एक ही खसरा संख्या 426 ग्राम जोधपुर से संबंधित है तथा समस्त प्रकरणों में वांछित भू उपयोग परिवर्तन भी राजकीय आरक्षित भूमि से आवासीय दर्शाया गया है परन्तु प्रत्येक प्रकरण में आवेदक भिन्न है । यदि समस्त प्रकरणों को मिलाकर एक ही निर्णय लिया जावे तो प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये जावे । प्रकरण संख्या 2 से 8 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल का है । प्रकरण प्रकरण पर प्रत्येक से निर्णय लेने हेतु स्थानीय स्तर पर गठित समिति स्थापित है । निर्णय प्रकरणों को प्रकरण प्राधिकरण में ही प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रकरण प्रकरण में

कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर इस संबंध में राज्य सरकार को स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही अन्तर्गत की जावे ।

- स. आवेदित भूमि राजस्व जमाबंदी रिकार्डों के अनुसार राजकीय भूमि है परन्तु प्रार्थी द्वारा स्वामित्व के संबंध में अनुबंध दस्तावेजों तथा न्यायालयों के फैसलों की प्रति प्रस्तुत की गई है । प्रार्थी को किसी भी प्रकार के अधिकार प्रदत्त करने से पूर्व स्वामित्व के संबंध में विस्तृत परीक्षण किया जाना आवश्यक है । चूंकि प्रकरण कार्यकारी समिति के सफा नगर मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया है । अतः मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेने से प्रार्थी के स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अतः यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति द्वारा लिए जा रहे भू उपयोग परिवर्तन निर्णय शर्तों होंगे तथा प्रकरण में रूपान्तरण / भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रक्रिया सम्पादित किए जाने से पूर्व जेडीए/नगर निगम को प्रार्थी के स्वामित्व का पूर्ण परीक्षण करवाना तथा सही पाये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना होगा । भू उपयोग परिवर्तन के निर्णय से प्रार्थी को किसी प्रकार के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे ।

- द. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25 फरवरी 2009 के अनुसार राजकीय आरक्षित भू उपयोग परिवर्तन से अन्य भू उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में स्थानीय स्तर पर रोक लगाई है । अतः भू उपयोग परिवर्तन आवेदन जमा करने से पूर्व राज्य सरकार इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जावे ।

आवेदित भूमि राजकीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में अंकित है तथा पट्टी के रूप में उपलब्ध है । निदेशक आयोजना ने अवगत करवाया कि मास्टर प्लान में गीत तौर पर भू उपयोग अंकित किया जाता है । भू उपयोग का अंकन करते समय वर्तमान भू उपयोग तथा भविष्य हेतु नियोजित भू उपयोगों को मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाता है । प्रकरण में आवेदकों के पास वर्तमान मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी होने से पूर्व के आबादी भूमि संबंधी दस्तावेज होना प्रतीत होता है । अतः आवेदित उपरोक्तानुसार प्रकरण संख्या 2 से 8 में मास्टर प्लान में राजकीय आरक्षित उपयोग से आवासीय भू उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है । चूंकि आवेदित भूमि से संबंधित बार्ड नगर निगम को स्थानान्तरित किया जा चुका है, भू उपयोग परिवर्तन के पश्चात् की कार्यवाही हेतु प्रार्थी को नगर निगम जोधपुर में आवेदन करना होगा । यदि प्रार्थी के स्वामित्व दस्तावेजों के विधिक परीक्षण पर यह निर्णित किया जाता है कि भूमि कृषि भूमि है तो प्रार्थी को जोधपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन कर भू रूपान्तरण की प्रक्रिया करवानी होगी । यदि विधिक परीक्षण उपरांत स्वामित्व आबादी निर्णित होता है तो आवेदक द्वारा नगर निगम जोधपुर में आवेदन कर नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा आदि प्राप्त करनी होगी ।

उपरोक्त अनुसार तथ्यों एवं तकनीकों काय के मददे नजर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि पर मास्टर प्लान में भू उपयोग राजकीय आरक्षित से आवासीय करने पर सहमति प्रदान की जाती है परन्तु उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या अ.ब.स एवं द की स्थिति शत-प्रतिशत स्पष्ट नहीं होने के कारण बिन्दु संख्या अ.ब.स एवं द के तथ्यों को अवगत करवाते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे ।

- उपरोक्त में उल्लिखित प्रकरणों की सूची में उक्त संख्या 3 पर उल्लिखित प्रकरण में उपरोक्त निर्णय अन्तर्गत में नियत प्रमाण संख्या 30 पर उल्लिखित में उल्लिखित प्रमाण संख्या

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। परन्तु उक्त प्रकरण में तकनीकी एवं विधिक परीक्षण नहीं किये जाने के कारण जमिनी बतल प्रकरण का समापन में सम्बन्ध कार्यवाही पूर्ण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

5. एजेण्डा में सम्मिलित प्रकरणों की सूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित प्रकरण में पाल लिंक रोड पर भूखण्ड संख्या 425 का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। कार्यकारी जमिनी की गठ बैठक में पाल लिंक रोड पर बढ़ते यातायात दबाव के मद्देनजर नीति निर्धारित करते हुए अन्य प्रकरणों में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आवेदित प्रकरण में भी भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।
6. एजेण्डा में सम्मिलित प्रकरणों की सूची में क्रम संख्या 11 पर श्रीमती मंगदेवी आदि का प्लॉट संख्या 5 खसरा नं. 359 पूजला का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण की भूमि जयपुर सड़क एवं रेलवे लाइन के मध्य स्थित है। प्रकरण में तकनीकी राय के अनुसार जयपुर सड़क का नगराधिकार एवं रेलवे लाइन की सीमा से पर्याप्त दूरी छोड़ने के पश्चात् उक्त भूखण्ड आकार उपलब्ध नहीं रहता है। अतः भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम
संख्या 6

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अकण्ठ करवाया कि विक्रमादित्य नगर के पास हुडको से घनराशि लेकर 10-15 आवास गृहों का उद्घाटन निर्माण किया गया था परन्तु फिनिशिंग कार्य के अभाव में यह राजकीय सम्पतियां अनुपयोगी पड़ी हुई हैं। यदि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाती है तो यह परि-सम्पतियां उपयोगी बनाई जा सकती हैं। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पूर्व में सम्पादित कार्यों का परीक्षण करते हुए शेष कार्य पूर्ण करवाने हेतु नियमानुसार तकमीना बनावें तथा सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण यह प्रस्ताव माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को भिजवायें कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् तैयार किए गए आवास गृहों में से न्यूनतम 1/3 आवास गृह जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु आरक्षित करने की सहमति प्रदान की जावे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने निवेदन किया कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले आवास गृहों में से प्रस्तावित पुलिस कमिश्नर प्रणाली के मददे नजर 1/3 आवास पुलिस अधिकारियों हेतु आरक्षित किये जाने हेतु भी निवेदन किया जावे।

अतः यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकमीना प्राप्त होने के पश्चात् 1/3 आवास जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं 1/3 आवास पुलिस अधिकारियों हेतु आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव संभागीय आयुक्त महोदय को भिजवाये जावे। संभागीय आयुक्त महोदय से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे।

उत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अधीक्षक अभियंता
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 10 / 432-554

दिनांक : 13 अप्रैल 2019

पतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव, नगरीय एवं आवास विभाग, जोधपुर।
2. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष / आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर प्रामीण।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, जोधपुर।
7. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिर्माण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
10. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
11. मुख्य नियंत्रक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. उप निदेशक पर्यटन, जोधपुर।
13. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / विधि / वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
14. अधीक्षक पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15. अधिशाही अभियन्ता मुख्यालय / पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
17. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
18. तहसीलदार, पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
19. _____

र 3
सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक 09.04.10 को आयोजित जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची -

1. श्री ताराचन्द भीमा साधव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
2. श्री प्रदीप साहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्राथमिक जोधपुर।
3. श्री मोहनलाल अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर।
4. श्री आई ए मृगदा मण्डल जन अधिकारी, जोधपुर।
5. श्री ताराचन्द गोसाई, आयुक्त नगर निगम, जोधपुर।
6. श्री मनिर अगवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
7. श्री अमिताभ योगानन्द, निदेशक (वित्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. श्री जी. एल. शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. श्री आर. एल. टुकलिया, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. श्री एन कं दत्त निदेशक (विधि) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
11. श्री सुरेश नवल उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. श्री मंगनलाल यादी उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
14. श्री ओ. पी. विश्णोई, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15. श्री टी. सी. छाजेड़, अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड, जोधपुर।
16. श्री पी. डी. पुरोहित, मुख्य प्रबंधक, रा.रा.प.प.नि., जोधपुर।
17. श्री डी. आर. गौड अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
18. श्री निरन्जन माथुर अधिशाषी अभियन्ता (साउथ), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
19. श्री ओ. पी. पुरी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, जोधपुर।
20. श्री भंवर सिंह, पर्यटन अधिकारी पर्यटन विभाग, जोधपुर।
21. श्री आर. क. विरनोई अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अमि. विभाग, जोधपुर।
22. श्री ओ. पी. ओझा आयुक्त अभियन्ता राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
23. श्री ए. सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक जो.वि.दि.नि.लि., जोधपुर।
24. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
25. श्री वीरेंद्र सिंह, सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।